आकलन रिपोर्ट

ऐलाइन दुहंगन हाइड्रोपॉवर परियोजना, हिमाचल प्रदेश, भारत

सम्बन्धी शिकायत

मार्च 18, 2004

अनुपालन सलाहकार/ ओमबड्समैन कार्यालय
अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम
बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी

विषय सूची

1. प्रस्तावना 1

2. शिकायत 1

3. बातचीत का तरीका 2

4. पृष्ठभूमि 2

नक्शा 1
ऐलाइन दुहंगन परियोजना की रूपरेखा 4

5. आकलन 5

5.1. जगतसुख गांव में पानी की पर्याप्त आपूर्तियों
और दूसरे प्रभावों से सम्बन्धित चिन्तायें 5

CAO के निष्कर्ष और सिफारिशें 7

5.2. ESIA की प्रक्रिया और जन परामर्श
सम्बन्धी चिन्तायें 8

CAO के निष्कर्ष और सिफारिशें 10

5.3. अनापत्ति प्रमाणपत्र 11

CAO के निष्कर्ष और सिफारिशें 12

5.4. परियोजना के लिए किए गए वायदों के
भावी अनुपालन सम्बन्धी चिन्तायें 13

CAO के निष्कर्ष और सिफारिशें 14

6. निष्कर्ष 15

1. प्रस्तावना

अनुपालन सलाहकार/ओमबड्समैन (CAO) का कार्यालय, अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) और बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (MIGA) के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित करने वाला स्वतन्त्र निकाय है। CAO सीधे विश्वबैंक समूह के अध्यक्ष को रिपोर्ट करता है, और इसका आदेश परियोजनाओं से प्रभावित लोगों के द्वारा उठायी गयी शिकायतों को सुलझाने में संबंधित पक्षों की सहायता करने के लिये होता है। CAO इस ढंग से काम करता है कि वह न्यायपूर्ण, निष्पक्ष, और रचनात्मक रहे तथा IFC और MICA की भूमिका वाली परियोजनाओं के सामाजिक और पर्यावरण सम्बन्धी नतीजों को बढ़ाने के लिये हो। कार्यवाही के पहले चरण में, शिकायतों को CAO के ओमबड्समैन के माध्यम से संभाला जाता है। इस आकलन का उद्देश्य हैं:

1. शिकायत में उठाये गये सवालों से जुड़े, आकलन के दौरान एकत्र किये गये हुए तथ्यों का एक निष्पक्ष मूल्यांकन प्रदान करना;
2. संबंधित पक्षों को इस शिकायत का समाधान हासिल करने में सहायता करने के लिये समुचित कदम सुझाना।

यह आकलन IFC या उसके भागीदार के द्वारा स्थापित नीतियों के अनुपालन का कोई औपचारिक अनुपालन सम्बन्धी ऑडिट नहीं है। ऐसा कोई ऑडिट, CAO के परिचालन सम्बन्धी मार्गनिर्देशों के अनुसार ज़रूरी समझा जाने पर, बाद में किया जा सकता है। आकलन रिपोर्ट में CAO के द्वारा आकलन के दौरान उन गतिविधियों के बारे में एकत्रित किये गये तथ्य प्रस्तुत किये जाते हैं जिनका सम्बन्ध शिकायत में उठायी गयी चिन्ताओं से और उनके समाधान से होता है।

2. शिकायत

1 अक्तूबर 2004 को CAO को भारतीय हिमालय के पर्वतों में ऐलाइन दुहंगन परियोजना के बनने से सम्भावित रूप से प्रभावित होने वाले 63 लोगों की ओर से एक शिकायत मिली थी। शिकायत में निम्नलिखित विषयों के बारे में चिन्तायें ज़ाहिर की गयी हैं:

i. दुहंगन नदी के दिशा परिवर्तन के परिणाम स्वरूप गांव में पानी की आपूर्ति में बाधा, साथ ही नदी के 'सूख जाने' पर धार्मिक और सांस्कृतिक आपत्तियां; तथा

ii. गाँववासियों की वैध चिन्ताओं पर विचार किये जाने में परियोजना के पर्यावरण सम्बन्धी एवं सामाजिक प्रभाव के आकलन (ESIA) की अपर्याप्तता। शिकायतकर्त्ता इस बारे में भी चिन्तित हैं कि ESIA दस्तावेजों का मसौदा - अगस्त 2003, दिसम्बर 2003 और उनके बाद की ताजा स्थितियां - परियोजना के मुख्य प्रभावों पर जानकारी युक्त परामर्श के लिये पर्याप्त आधार प्रदान नहीं करता। विशेष रूप से, लोग समझते हैं कि ESIA की प्रक्रिया में दोष हैं - क्योंकि ऐसा लगता है कि यह परियोजना चालू रहेगी चाहे ESIA के निष्कर्ष कुछ भी हों। इसे परियोजना बनाने वाले विशेषज्ञों की इस स्वीकृति से भी कुछ हवा मिली है कि ESIA के कुछ पहलू अधूरे हैं और अभी बहुत से अध्ययन चल रहे हैं।

iii. जगतसुख, जो कि परियोजना से प्रभावित होने वाले दोनों गाँवों में अपेक्षाकृत बड़ा है, से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के रूप में समुदाय की पूर्व सहमति के बिना परियोजना चालू है।

iv. अनुपालन की जो कार्य विधियां स्थापित की गयी हैं वे विश्वसनीय नहीं हैं, और वे समुदायों को उनकी समस्याओं के निवारण के लिये समुचित साधन प्रदान नहीं करती।

3. बातचीत का तरीका

CAO की एक टीम ने अक्तूबर 2004 के आख़िरी हफ्ते के दौरान परियोजना स्थल का दौरा करके और IFC परियोजना स्टाफ तथा परियोजना बनाने वाले विशेषज्ञों के साथ कई बैठकें करके इस शिकायत की जाँच-पड़ताल की।

CAO का तरीका बड़ी जन सभा आयोजित करने की बजाय शिकायत करने वाले व्यक्तियों से सीधे सम्पर्क करना था। इस तरीके से शिकायतकर्त्ताओं से रचनात्मक, विस्तृत और खुली चर्चा सम्भव हो सकी, साथ ही साथ CAO की मेहनत से शिकायतकर्त्ताओं की पहचान की पुष्टि भी हो पायी। शिकायतकर्त्ताओं के साथ CAO की बैठकें शिकायत में उठाये गये मुद्दों पर सुनियोजित थीं और उनमें विस्तृत चर्चा तथा दृष्टिकोणों के आदान-प्रदान के लिये काफी समय दिया गया था।

शिकायतकर्त्ता प्रधानतया जगतसुख गाँव के विविध विचारों वाले लोगों का एक समूह था। शिकायतकर्त्ताओं के साथ अपेक्षातया छोटी बैठकें 28 और 29 अक्तूबर 2004 को मनाली और जगतसुख में आयोजित की गयीं। इन बैठकों में हर व्यक्ति को अपने विचार खुले तौर पर और विस्तार से व्यक्त करने का मौका दिया गया। 29 अक्तूबर की बैठकों के साथ ही प्रिनी गांव के लोगों के साथ एक छोटी बैठक की गयी और उसके बाद जगतसुख के पानी की सप्लाई, *चोर पानी*, प्रस्तावित प्रवेश सड़क, दुहंगन नदी और *काला नाला* सहित इसके बहाव की दिशा में जाने वाली सहायक नदियों का दौरा करके क्षेत्र का आकलन किया गया।

शिकायतकर्त्ताओं से मिलने के अलावा, आकलन टीम को जगतसुख गांव से आये लोगों के एक अन्य समूह से मिलने के लिये अनुरोध किया गया जिन्होंने परियोजना के लिये अपना समर्थन व्यक्त किया। यह बैठक प्रिनी से बाहर 29 अक्तूबर को आयोजित की गयी थी। इस ग्रुप ने जोर देकर कहा कि जगतसुख के अन्दर परियोजना के लिये काफी समर्थन था।

दिल्ली में CAO दल, भीलवाड़ा ग्रुप के वरिष्ठ प्रबन्धन वर्ग से, नॉर्वे की एस एन पॉवर (परियोजना में सह-निवेशक) के प्रतिनिधियों से तथा परियोजना के पर्यावरण सम्बन्धी परामर्शदाताओं के प्रतिनिधियों से मिला। CAO दल, राष्ट्रीय रूप से सम्मानित, परियोजना के स्वतन्त्र बाहरी पर्यवेक्षकों में से एक, श्री शेखर सिंह से तथा बांधों, नदियों और लोगों पर दक्षिण एशिया नेटवर्क (SANDRP) के प्रतिनिधि हिमांशु ठक्कर से भी मिला। श्री ठक्कर परियोजना से प्रभावित होने वाले लोगों की सहायता करने में सक्रिय रहे हैं।

आकलन टीम ने हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में ही स्थित एक विद्यमान हाइड्रो पॉवर परियोजना का दौरा किया जिसका निर्माण भीलवाड़ा ग्रुप द्वारा किया गया है और इसका स्वामित्व व संचालन इसी ग्रुप के पास है। CAO दल चौकी गांव में, जो कि परियोजना की इमारतों के सबसे करीब की बस्ती है, कुछ अनौपचारिक साक्षात्कार लेने में समर्थ रहा, परन्तु परियोजना स्टाफ की मौजूदगी के कारण, इन बैठकों को स्वतन्त्र रूप से की गयी बैठकें नहीं कहा जा सकता।

CAO ने अपनी मसौदा रिपोर्ट दिसम्बर 2004 में जारी की और बाद में उस मसौदे को जनवरी और फरवरी 2005 के दौरान IFC, शिकायतकर्त्ताओं और परियोजना को चलाने वाली कम्पनी से नयी जानकारी प्राप्त होने के आधार पर संशोधित किया।

4. पृष्ठभूमि

ऐलाइन दुहंगन परियोजना सहयोगी ट्रांसमिशन लाइन के साथ नदी के पानी से बनायी जाने वाली 192 मेगावाट क्षमता वाली बिजली का प्लांट है जिसे भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू जिले में मनाली के नजदीक व्यास नदी की ऐलाइन और दुहंगन सहायक नदियों पर बनाया जाना है। यह प्लांट ऐलाइन नदी पर होगा लेकिन इसे शक्ति ऐलाइन और दिशा में बदलाव करके दुहंगन के संयुक्त बहावों से दी जायेगी। इस प्रस्तावित परियोजना में एक भूमिगत पॉवर

प्लांट होगा जो दोनों नदियों के कैचमेन्ट बेसिनों (वे क्षेत्र जहां पर बरसात का पानी नदी में मिलता है) से बने जलाशय और एक मध्यस्थ जलाशय की आपूर्ति के लिये ग्लेशियर के बर्फ के पिघलने, और मानसून की बरसातों, दोनों के मिश्रित बहावों का उपयोग करेगा। दोनों नदियों का संयुक्त बहाव 2 यूनिटों वाले एक पॉवर हाउस को दिया जायेगा जिसमें प्रत्येक यूनिट की क्षमता 96 मेगावाट होगी। पानी से बिजली बनाने वाले इस बिजली स्थल के लिये परियोजना के सारे जीवन हेतु 77 हैक्टेयर जमीन की ज़रूरत होगी। एक 220 किलोवाट की पॉवर ट्रांसमिशन लाइन (185 कि.मी. लम्बाई की) इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक संस्थान को हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में नालागढ़ के विद्यमान सब स्टेशन से जोड़ेगी।

इस परियोजना की प्रायोजक मालना पॉवर कम्पनी लिमिटेड (MPCL) है जिसका 100% स्वामित्व LNJ भीलवाड़ा (LNJ) ग्रुप के पास है। LNJ और नॉर्वे की स्टेटक्राफ्ट नोरफंड पॉवर इन्वेस्ट AS (SNP) ने एक अंशधारक समझौता किया है जिसके अनुसार MPCL में SNP का हित (हिस्सा) 49% रहेगा। परियोजना कम्पनी (ऋणी) ऐलाइन दुहंगन हाइड्रो पॉवर लिमिटेड (AD हाइड्रो) कही जाती है और इसका गठन पॉवर प्लांट का निर्माण करने, इसे संचालित करने और इसका रखरखाव करने के लिये किया गया था। AD हाइड्रो में MPCL की अंशपूंजी 90% होगी और 10% अंशपूंजी IFC की होगी।

AD हाइड्रो अपनी बिजली को कम अवधि के पॉवर खरीद समझौतों (PPAs) के ज़रिये राज्य के बिजली बोर्डों, निजी वितरण कम्पनियों और भारत की पहली पॉवर ट्रेडिंग कम्पनी, पॉवर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन सहित मुख्तया भारत के उत्तरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को बेचने का इरादा रखती है।

इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत अमेरीकी $192 मिलियन हैं, जिनमें से IFC, ऋण 'ए' के रूप में 184 करोड़ रूपये (लगभग अमेरीकी $40 मिलियन) तक की रकम निवेश करेगी जोकि IFC के अपने अकाउन्ट के लिये भी ऋण है, और अमेरीकी $7 मिलियन तक ऋण "सी" में निवेश करेगी जो कि IFC के लिये अंश पूंजी और/या आंशिक पूंजी है। अनुमानित निर्माण अवधि वित्तीय समाप्ति अवधि से 48 महीने की है। IFC की पर्यावरण सम्बन्धी एवं सामाजिक समीक्षा कार्य-प्रणालियों के अनुसार महत्वपूर्ण पर्यावरण सम्बन्धी एवं सामाजिक प्रभावों के कारण यह 'ए' श्रेणी की परियोजना है।

यह परियोजना, बोर्ड द्वारा 12 अक्तूबर 2004 को मंजूर की गयी थी।

इस परियोजना से बहुत सी बस्तियों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक तथा पर्यावरण सम्बन्धी प्रभाव पड़ते हैं, जिनमें सबसे अधिक प्रभावित ऐलाइन नदी पर प्रिनी गाँव और दुहंगन नदी पर जगतसुख गाँव हैं (कृपया नीचे देखें)।

नक्शा 1: ऐलाइन दुहंगन परियोजना की रूपरेखा

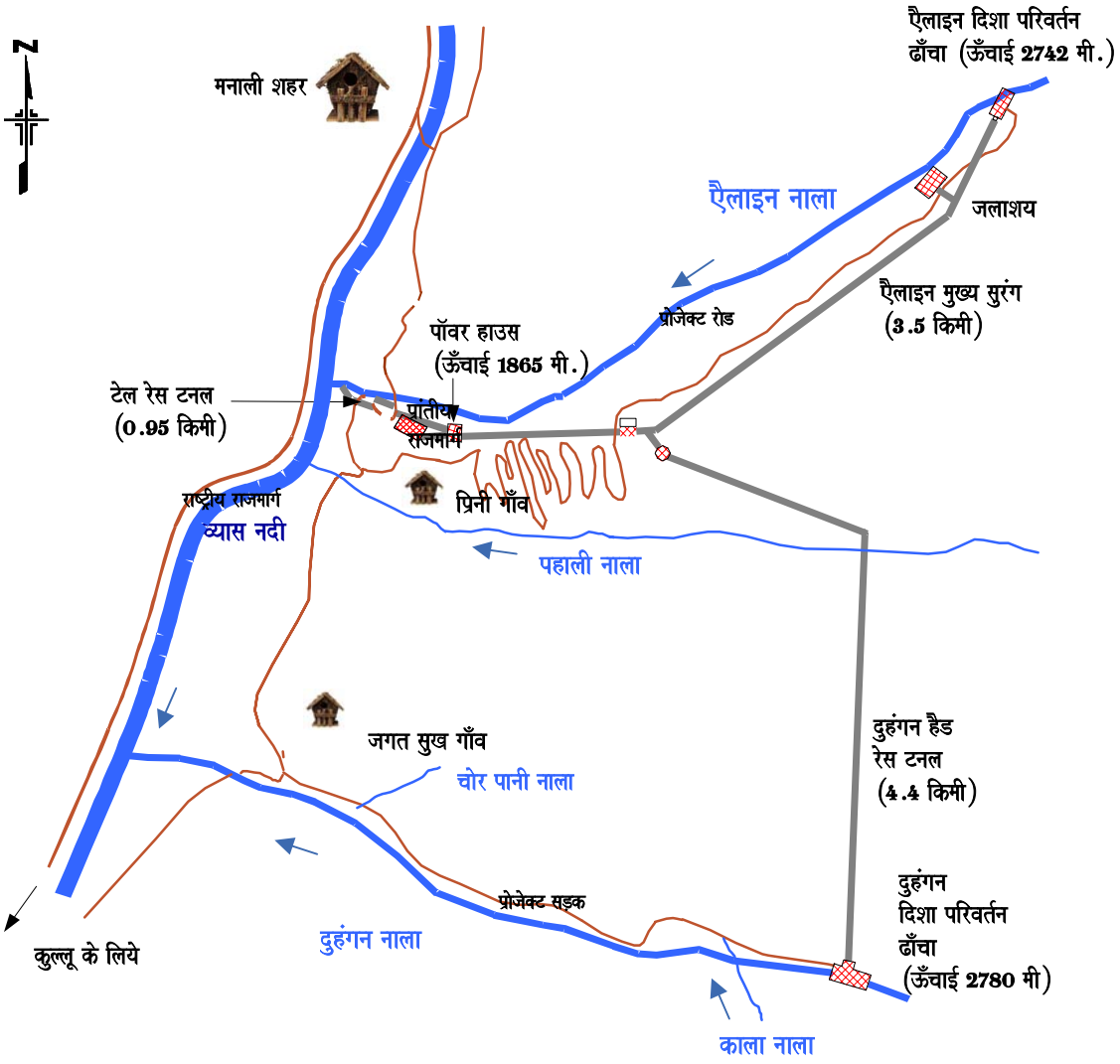

इस परियोजना के सामाजिक और पर्यावरण सम्बन्धी प्रभाव प्रायोजक द्वारा कराये गये बहुत से आकलनों के ज़रिये चित्रित किये गये हैं, जिनमें से पहला 11 अगस्त 2003 को जारी किया गया था। अंशधारकों की राय और परियोजना डिजाइन के लिहाज से इन दस्तावेजों में व्यापक संशोधन किये गये और इनके नये संशोधित रूप दिसम्बर 2003 में जारी किये गये। इसके बाद और सुधार सितम्बर 2004 में जारी किये गये। प्रभावों को कम करने सम्बन्धी वायदे ESIA में लिखित रूप में दर्ज हैं।

दिसम्बर 2003 और सितम्बर 2004 के बीच की अवधि में, IFC ने परियोजना बनाने वाले विशेषज्ञों के साथ, तीन अलग-अलग सार्वजनिक बैठकें आयोजित कीं जिनमें शेखर सिंह, हर्ष मंदर तथा गैर सरकारी संस्थान कल्पवृक्ष सहित स्वतन्त्र तृतीय पक्षों ने सहयोग दिया। इन प्रयासों को गाँववासियों द्वारा प्रभावों को समझने में और परियोजना के प्रायोजकों के साथ बेहतर बातचीत करने में मदद करने की दिशा में आमतौर पर सकारात्मक माना गया। IFC और

परियोजना बनाने वाले विशेषज्ञों ने स्वतन्त्र पर्यवेक्षक की सिफारिशों का ESIA को सारभूत रूप से संशोधित करने के लिये इस्तेमाल किया है तथा अगस्त 2004 में ESIA के परिशिष्ट के रूप में इसे जारी किया है।

5. आकलन

गांव वालों ने विविध प्रकार की चिन्तायें उठायीं जिनमें से सभी को स्वतन्त्र पर्यवेक्षकों के द्वारा दर्ज़ कर लिया गया है और उन्हें अगस्त 2004 के ESIA परिशिष्ट में दिया गया है।

इस शिकायत में चार सवाल उठाये गये हैं जो ESIA में प्रस्तुत सामग्री के दायरे से बाहर हैं:

- **क्या काम के लिए दिए जाने वाले पानी की आपूर्तियां पर्याप्त हैं?**
- **क्या ESIA की प्रक्रिया और इसकी विषय वस्तु पर्याप्त है?**
- **क्या परियोजना के पास जगतसुख गाँव से समुदाय का समर्थन स्वत: मान लिये जाने का कोई वैध आधार है?**
- **क्या परियोजना को चलाने वाली कम्पनी द्वारा किए गए वायदे पूरे किये जायेंगे?**

इन मुद्दों में से हर एक पर निम्नलिखित खंडों में विस्तृत चर्चा की गयी है।

5.1. क्या काम के लिए दिए जाने वाले पानी की आपूर्तियां पर्याप्त हैं?

बहाव की दिशा में बदलाव किये जाने वाले स्थान पर परियोजना द्वारा छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा शिकायत में बहुत से व्यक्तियों द्वारा उठायी गयी चिन्ताओं के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यदि परियोजना दुहंगन घाटी में पर्याप्त पानी छोड़ती है, तो परियोजना से बहाव के कारण पड़ने वाला असर न्यूनतम हो जायेगा। उस दशा में इससे सिंचाई, खेती या अन्य सामाजिक और सांस्कृतिक ज़रूरतों के लिये पानी की उपलब्धता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह से, यदि दुहंगन के लिये पर्याप्त पानी छोड़ा जाता है, तो पर्यावरण सम्बन्धी विविधता पर पड़ने वाले सम्भावित प्रभावों को उसी तरह से रोका जा सकेगा।

जगतसुख में घरेलू उपयोग के लिये पीने योग्य पानी और सिंचाई के लिये पानी के स्रोत भिन्न-भिन्न हैं। पीने योग्य पानी भूमिगत धार (*चोर पानी*) से आता है जो कि घाटी में गाँव से ऊपर है और 2" के पाइप के ज़रिये स्टोरेज टैंकों में ले जाया जाता है। सिंचाई का पानी एक छोटी सी (0.75 मी.) नाली से लिया जाता है जो सीधे दुहंगन की धारा से पानी को इस दिशा में लाती है। ESIA रिपोर्ट में पीने योग्य पानी के स्रोत के रूप में ट्यूबवेलों का उल्लेख है परन्तु ये अब काम नहीं करते। इसके अलावा, हालांकि ESIA रिपोर्ट में कहा गया है कि पानी की कमी सामान्यतया नहीं होतीं, परन्तु शिकायतकर्त्ताओं और ESIA परामर्शदाताओं दोनों ने CAO को इस बात की पुष्टि की है कि पीने योग्य पानी की कमी, असल में, आमतौर पर रहती हैं। दुहंगन में पानी की दिशा में बदलाव का सम्भावी प्रभाव सिंचाई के पानी पर पड़ता है, परन्तु इससे पीने योग्य पानी की आपूर्तियों पर असर पड़ने की उम्मीद नहीं है।

ESIA रिपोर्ट में AD हाइड्रो की ओर से वायदा किया गया है कि ऐलाइन और दुहंगन दोनों नदियों पर दिशा परिवर्तन के स्थानों पर कम से कम 150 लीटर प्रति सेकंड का बहाव छोड़ा जायेगा। AD हाइड्रो ने हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HPPCB) को इस बहाव को हर समय बनाये रखने का औपचारिक वायदा कर दिया है। इस वायदे को, या पर्यावरण सम्बन्धी तथा सामाजिक प्रबन्धन एवं नियन्त्रण योजना (ESMMP) के अनुपालन की बाध्यता को भंग किया जाना IFC के साथ ऋण अनुबंध के अधीन चूक माना जायेगा। किसी प्रकार के विघटन होने की असम्भाव्य परिस्थिति में AD हाइड्रो को पानी का उपयोग करने वाले लोगों को नुकसान की भरपाई करनी होगी और पानी देने के लिये वैकल्पिक प्रबन्ध करने होंगे। AD हाइड्रो ने पानी छोड़े जाने की सार्वजनिक रूप से निगरानी करने और निगरानी की इस प्रक्रिया में स्थानीय लोगों को शामिल करने का अतिरिक्त रूप से वायदा किया है।

इस 150 लीटर प्रति सेकंड की संख्या के आधार पर शिकायतकर्त्ताओं के द्वारा सवाल उठाये गये हैं। ESIA और सहयोगी दस्तावेजों में निम्नलिखित जानकारी दी गयी है:

- ऐलाइन और दुहंगन दोनों धारों के लिये बहाव के आंकड़े 1973-4 से लेकर 1993-4 तक की 20 वर्ष की अवधि के लिये उपलब्ध हैं। यह एक समृद्ध डैटा सेट है, परन्तु आश्चर्य की बात यह है कि 1994 से बाद के ग्यारह वर्षों के कोई डैटा उपलब्ध नहीं है।
- दुहंगन धारा के लिये परियोजना का अनुमान है कि दूसरी सहायक नदियों से मुख्य धारा को दिया जाने वाला रिकॉर्ड किया गया न्यूनतम अंशदान 360 लीटर प्रति सेकंड था इसलिये जुगतसुक में 510 लीटर प्रति सेकंड पानी का बहाव उपलब्ध होगा। बहाव के ऐतिहासिक डैटा के आधार पर, यह 1973 और 1994[1] के बीच जगतसुख में दुहंगन धारा के रिकॉर्ड किये गये न्यूनतम बहाव के निचले स्तर का यह लगभग 40% है।

क्या जगतसुख में रिकॉर्ड किये गये (1973 और 1994 के बीच) न्यूनतम बहाव के निचले स्तर का 40% पानी मानव और पर्यावरण सम्बन्धी ज़रूरतों के लिये पर्याप्त है? इस बारे में ESIA में निम्नलिखित जानकारी दी गयी है:

- नगर एवं ग्रामीण आयोजना विभाग ने ऐलाइन और दुहंगन धाराओं के लिये 100 लीटर प्रति सेकंड की सामुदायिक पानी की ज़रूरतों की पुष्टि करते हुए एक पत्र[2] (दिनांक 17 जून 2002) को जारी किया। इस बाबत कोई डैटा नहीं दिया गया है कि ये संख्याएं कैसे प्राप्त की गयी; या मांग का आकलन यदि कभी किया गया था, तो कब किया गया था। न ही इसमें जगतसुख या प्रिनी गांवों में से किसी का विशिष्ट सन्दर्भ दिया गया है।
- केवल दुहंगन धारा पर निकलने वाले सिंचाई के दो चैनलों का मिलकर बहाव 130 लीटर प्रति सेकंड[3] है। यह दर्शाने के लिये कोई डैटा नहीं दिये गये हैं कि इस संख्या की गणना किस तरह से की गयी थी, बहाव का आकलन कब और किसके द्वारा किया गया था। इसके अलावा, इस बात की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये कि यह माप पानी की माँग के बजाय इसकी उपलब्धता से सम्बन्ध रखती है।

ESIA और परिशिष्ट में परियोजना के जीवन काल में विकास की ज़रूरतों और आबादी में बढ़ोत्तरी के कारण होने वाली वृद्धियों का उल्लेख नहीं है। साथ ही, इसमें पर्यावरण सम्बन्धी आवश्यकताओं का कोई उपयुक्त अनुमान नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अब से लेकर पानी के बहाव की दिशा में परिवर्तन शुरू होने के समय के बीच चार वर्ष का निर्माण समय लगेगा, प्रायोजक ने पर्यावरण सम्बन्धी आवश्यकताओं का अध्ययन कराने का वायदा किया है। अब इस अध्ययन को फरवरी 2006 तक पूरा कर लिये जाने की सम्भावना है।

[1] हाइड्रोलोजी अध्ययन, पेज 6, एनवाइरनमेन्टल रिसोर्सेज लिमिटेड, अद्यतन।
[2] http://www.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/0/ebdc4548b2ceace285256e1300663901/$FILE/ESIA%20Annex%20A%20-%20Part%201.pdf
[3] ESIA परिशिष्ट, पेज 11, एनवाइरनमेंटल रिसोर्सेज लिमिटेड, सितम्बर 2004.

CAO के निष्कर्ष

यदि पानी के बहाव पर प्रस्तुत आंकड़े सही हैं, तो परियोजना पर्यावरण सम्बन्धी उद्देश्यों के लिये 380 लीटर प्रति सेकंड का न्यूनतम बहाव पैदा करते हुए सिंचाई सम्बन्धी ज़रूरतों को पूरा करने में समर्थ होनी चाहिये। फिर भी, ESIA में इस बात पर विश्वास करने के लिये पर्याप्त प्रणालीगत प्रमाण नहीं दिये गये हैं कि ये आंकड़े सही हैं। साथ ही, इसमें पानी की मांग की कोई गणना नहीं की गयी है, केवल उपलब्धता के अनुमान हैं। अन्ततः, पानी के बहाव को रिकॉर्ड न्यूनतम बहाव के 40% तक कम कर दिये जाने पर पर्यावरण सम्बन्धी अखंडता पर पड़ने वाले नतीजों का कोई उल्लेख नहीं है। कुल मिलाकर, ESIA के अन्दर दी गयी जानकारी यह तय किये जाने हेतु एक जानकारी भरा आधार प्रदान करने के लिये पर्याप्त नहीं है कि परियोजना द्वारा छोड़े जाने वाले पानी का न्यूनतम बहाव मानवीय मांगों और पर्यावरण सम्बन्धी ज़रूरतों को पूरा करने के लिये पर्याप्त होगा या नहीं।

पानी की आपूर्ति के सम्बन्ध में बढ़े हुए ख़तरे के मद्देनज़र सार्वजनिक दस्तावेजों में प्रमाणों की गैर मौजूदगी चिन्ताजनक है।

CAO के साथ हुए पत्राचार में, AD हाइड्रो के परामर्शदाता इन अनुमानों के आधार के बारे में कुछ अतिरिक्त स्पष्टीकरण देने में समर्थ रहें और उन्होंने आश्वासन दिये कि परियोजना के पूरे जीवनकाल की दीर्घ कालीन पानी की मांग को इन आंकड़ों की गणना किये जाने में शामिल कर लिया गया है। फिर भी, गणना की जाने की विधि समुचित रूप से नहीं समझायी गयी, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि दिये गये अनुमान बिना जाँच की गयी कल्पनाओं पर आधारित हैं। CAO के लिये यह आकलन करना सम्भव नहीं है कि क्या ये कल्पनायें तर्कसंगत हैं। साथ ही, यह जानकारी ESIA या इसके परिशिष्ट में नहीं दी गयी है और इसलिए इसे प्रभावित लोगों को उपलब्ध नहीं कराया गया है।

पीने योग्य पानी के सम्बन्ध में, गांववासियों की चिन्ता है कि निर्माण की अवधि के दौरान ये आपूर्तियां क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, विशेष रूप से प्रवेश सड़क बनाये जाने के समय। इस पानी के लिये स्रोत और बुनियादी ढाँचा दोनों ही कमजोर हैं, और हालांकि प्रायोजक ने बताया है कि पानी के इन स्रोतों को बचाने का प्रयास किया जायेगा, परन्तु गाँववासियों को अभी भी चिन्ता है कि उनकी आपूर्ति अनजाने में क्षतिग्रस्त हो सकती है।

दुहंगन नदी के बहाव की दिशा में बदलाव का असर नदी के बहाव की दिशा में रहने वाले प्रभावित समुदायों के लिये एक वास्तविक चिन्ता है। हालांकि परियोजना ने बहाव की दिशा में रहने वाले समुदायों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये न्यूनतम बहाव बनाये रखने का वायदा करके किसी भी महत्वपूर्ण प्रभाव से बचने की कोशिश की है, परन्तु ये वायदे इस ढंग से तैयार नहीं किये गये हैं जो बहाव की दिशा में बदलाव से प्रभावित लोगों के द्वारा महसूस की जाने वाली सामाजिक और सांस्कृतिक चिन्ताओं का समुचित रूप से निवारण कर सके।

प्रायोजक ने भारत सरकार और IFC दोनों से यह सुनिश्चित करने का वायदा किया है कि यदि परियोजना को तैयार करने या उसके परिचालनों के फलस्वरूप विद्यमान आपूर्तियों को कोई नुकसान पहुँचता है तो प्रभावित गाँववासियों के लिये पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये आकस्मिक स्थिति हेतु उपयुक्त योजनायें हैं। फिर भी, ये आकस्मिक स्थिति वाली योजनाएं समुचित विवरण के साथ तैयार नहीं की गयी हैं, न ही वे प्रभावित लोगों को पक्का आश्वासन देती हैं कि उनकी परेशानियों को दूर करने सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी।

संक्षेप में, जगतसुख गांव के लिये सिंचाई के पानी और पीने योग्य पानी की पर्याप्तता शिकायतकर्त्ताओं के लिये एक गम्भीर अनसुलझा मुद्दा है जिसे परियोजना के प्रायोजक द्वारा और अधिक सावधानी युक्त व विश्वसनीय ढंग में सुलझाये जाने की ज़रूरत है।

CAO की सिफारिशें

AD हाइड्रो को ERM से जगतसुख गाँव के लिये पानी की मांग और उसके लिये सम्भावित ख़तरों का एक स्वतन्त्र अध्ययन करने के लिये कहना चाहिये। अध्ययन का मसौदा बनाने और क्रियान्वयन में गांववासियों तथा भरोसे वाली सरकारी संस्थाओं एवं स्वतन्त्र समीक्षकों को शामिल किया जाना चाहिये। इसमें निम्नलिखित बातों का समावेश होना चाहिये:

1. घरेलू और कृषि से सम्बन्धित पानी का एक भागीदारी युक्त आकलन और उसे दुहंगन धारा से गांववासियों द्वारा पानी अलग किये जाने तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिये;
2. परियोजना के पूरे जीवन काल में गांव के अन्दर पानी की मांग के वर्तमान और भावी अनुमान;
3. विकल्पों/समाधानों और आपात स्थिति से निपटने की उन योजनाओं का आकलन जो परियोजना के पूरे जीवन काल में गांव को इसकी ज़रूरतों को पूरा किये जाने के लिये दी जाने वाली पानी की सप्लाई के सम्भावित ख़तरों को कम करें। इन समाधानों का क्रियान्वयन प्रवेश सड़क के निर्माण से पहले हो जाना चाहिये ताकि गाँव को पीने योग्य पानी तथा सिंचाई सम्बन्धी पानी की आपूर्तियों को अनजाने में पहुँचने वाली क्षति से बचाया जा सके।

अध्ययन के तरीकों, क्रियान्वयन और नतीजों को सार्वजनिक किया जाना चाहिये और, एक बार जब सहमति हो जाये, तो ESMMP में इसकी सिफारिशों को लागू किये जाने के लिये औपचारिक वायदे किये जाने चाहियें। इन वायदों का पालन किये जाने की निगरानी सार्वजनिक रूप से की जानी चाहिये तथा प्रभावित लोगों को समुचित सहारा उपलब्ध कराया जाना चाहिये।

इस अध्ययन की शुरुआत अगले महीने के अन्दर कर दी जानी चाहिये तथा इसमें तृतीय पक्ष के परामर्शदाताओं को शामिल किया जाना चाहिये जो अब तक किये जा चुके कार्य में भरोसा पैदा कर सकें।

5.2. क्या ESIA पर्याप्त है?

शिकायतकर्त्ताओं की मुख्य चिन्तायें हैं: (a) ESIA प्रक्रिया द्वारा क्या उन्हें अपने अधिकार की सीमा मालूम होगी कि वे परियोजना को तैयार किए जाने या न किए जाने के निर्णय को प्रभावित कर सकेंगे; तथा (b) क्या ESIA में विवरण पर्याप्त स्तर तक दिया गया है ताकि परियोजना की व्यवहार्यता के बारे में जानकारी पर आधारित निर्णय लिया जा सके। इसके अलावा, शिकायतों में निम्नलिखित मुद्दे विशिष्ट रूप से शामिल हैं:

- जन परामर्श अपर्याप्त रहा है
- सामाजिक और पर्यावरण सम्बन्धी बेसलाइनों के अध्ययन अभी जारी हैं इस कारण ESIA अपूर्ण है
- निर्माण और परिचालन दोनों के कारण गाँव पर पड़ने वाले सामाजिक और आर्थिक प्रभावों पर समुचित रूप से विचार नहीं किया गया है - विशेष रूप से, महिलाओं की सुरक्षा तथा निर्माण से सम्बन्धित मजदूरों के प्रबन्धन से जुड़े मुद्दे
- दुहंगन के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व पर समुचित रूप से विचार नहीं किया गया है
- भूकम्पीय घटनाओं और बनाये गये ढाँचों (बाँध और दिशा बदलने वाली सुरंगों) पर उनके प्रभाव का समुचित रूप से विचार नहीं किया गया है
- साथ में जुड़ी हुई (सहयोगी) सुविधाओं के आकलन पर समुचित रूप से विचार नहीं किया गया है।

IFC के पास कोई परिभाषित 'मानक' नहीं है जिसके विरुद्ध किसी ESIA की पर्याप्तता का अनुमान लगाया जा सके। ESIA का कार्य-क्षेत्र और उसकी विषय सामग्री परियोजना के प्रकार तथा इसके आस-पास की संवेदनशीलता

पर निर्भर करती है। ESIA दस्तावेजों का IFC की वेबसाइट पर जारी किया जाना इस बात का संकेत है कि IFC संतुष्ट है कि दस्तावेज सभी महत्वपूर्ण अर्थों में पूर्ण है। यह निर्णय परियोजना के पर्यावरण सम्बन्धी परामर्शदाताओं के द्वारा किये गये कार्य की पर्याप्तता के मूल्यांकन और IFC के अपने स्टाफ के किसी और स्थान पर उसी तरह की परियोजनाओं के अनुभव पर आधारित है।

परियोजना के भावी सामाजिक और पर्यावरण सम्बन्धी अनुमानित प्रभाव बहुत से आकलनों के ज़रिये चित्रित किये गये हैं जिनका परियोजना का ESIA बनाने के लिये एकत्रीकरण किया गया था। पहला ESIA दस्तावेज सार्वजनिक रूप से 11 अगस्त 2003 को जारी किया गया था। ये दस्तावेज स्थानीय रूप से हिन्दी में जारी नहीं किये गये थे। अंशधारकों की आलोचना और परियोजना की डिजाइन के बारे में सोच-विचार के जवाब में, इन दस्तावेजों में व्यापक रूप से संशोधन किये गये तथा नये संशोधित रूप दिसम्बर 2003 में जारी किये गये थे।

दिसम्बर 2003 से, IFC से प्राप्त मार्ग दर्शन के साथ, परियोजना के प्रायोजकों ने स्थानीय समुदायों के साथ और अधिक रचनात्मक रूप से बातचीत करने के लिये बहुत से कदम उठाये हैं। विशेष रूप से:

i. गाँव-आधारित परामर्श में सहायता के लिये स्वतन्त्र व्यक्तियों की/भरोसे के पर्यवेक्षकों की सेवायें ली जाना।
ii. परियोजना के लिये ESIA परामर्शदाताओं को लम्बे समय के लिये रखा जाना।
iii. ESIA दस्तावेजों को हिन्दी[4] में स्थानीय रूप से उपलब्ध कराया जाना।

IFC के द्वारा रिकॉर्ड किये गये परामर्श की श्रृंखला में निम्नलिखित जानकारी शामिल थी :

2003

- जनवरी - ESIA परामर्शदाता की सेवायें ली गयीं और समुदाय से परामर्श शुरू
- मई - प्रिनी गाँव में पहली जनसभा (IFC इसमें शामिल हुई)
- अगस्त - IFC की वेबसाइट पर परियोजना सम्बन्धी जानकारी का सारांश और ESIA प्रकट किये गये
- नवम्बर - IFC की प्रिनी में स्थानीय गैर सरकारी संस्थाओं (NGOs) के साथ मुलाकात
- दिसम्बर - संशोधित ESIA को स्थानीय रूप से सारांश के साथ प्रकट किया गया तथा ESMMP का हिन्दी में अनुवाद किया गया एवं इसे परियोजना से प्रभावित हर परिवार को वितरित किया गया।

2004

- जनवरी - IFC की वेबसाइट पर संशोधित ESIA को जारी किया गया तथा "अक्सर पूछे जाने वाले सवालों" का दस्तावेज परियोजना से प्रभावित परिवारों को वितरित किया गया
- जनवरी - दूसरी जनसभा जगतसुख में आयोजित की गयी (IFC इसमें शामिल हुई)
- फरवरी - पूरे ESIA दस्तावेज का हिन्दी अनुवाद जारी किया गया
- मार्च, अप्रैल, मई - सहायता करने वाले स्वतन्त्र व्यक्तियों की अगुवाई में फोकस ग्रुप की बैठकें
- मई - विशेषज्ञों के स्वतन्त्र पैनल की सहायता से तीसरी जनसभा प्रिनी और जगतसुख दोनों गाँवों में आयोजित की गयी (IFC इसमें शामिल हुई)
- जुलाई - सहायता करने वाले स्वतन्त्र व्यक्तियों की अगुवाई में परियोजना से प्रभावित लोगों के साथ फोकस ग्रुप की बैठकें
- सितम्बर - ESIA दस्तावेज के परिशिष्ट को स्थानीय रूप से और IFC की वेबसाइट पर अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों भाषाओं में जारी किया गया।

स्वतन्त्र तृतीय पक्षों में शेखर सिंह, हर्ष मंदर, तथा गैर सरकारी संस्थान कल्पवृक्ष शामिल हुए। इन प्रयासों को गाँव वासियों की प्रभावों को समझने में और परियोजना के प्रायोजकों के साथ बेहतर सौदेबाजी करने में मदद करने की दिशा

[4] ESIA के दस्तावेज़ IFC की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। दुर्भाग्यवश, इन दस्तावेजों को ठीक से प्रस्तुत नहीं किया गया है और ये अब भी भ्रम पैदा करते हैं।

में आमतौर पर सकारात्मक माना गया है। IFC और परियोजना बनाने वाले विशेषज्ञों ने स्वतन्त्र पर्यवेक्षकों की सिफारिशों को ESIA को सारभूत रूप से संशोधित करने तथा सितम्बर 2004 में ESIA का परिशिष्ट जारी करने के लिये इस्तेमाल किया है। ESIA के इस परिशिष्ट और पहले संस्करणों में निम्नलिखित पर विचार किया जाना शामिल है:

- निर्माण और परिचालन दोनों के कारण गाँव पर पड़ने वाले सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, जिनमें महिलाओं की सुरक्षा तथा निर्माण से सम्बन्धित मजदूरों के प्रबन्धन से जुड़े मुद्दे शामिल हैं।
- दुहंगन का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व।
- टांसमिशन लाइनों सहित सहयोगी सुविधाओं का आकलन।

इन उपायों से कम से कम अंशतया, प्रिनी गाँव में जमीन की खरीद से सम्बन्धित बहुत से महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष प्रभाव वाले मुद्दे बातचीत के ज़रिये सुलझ गये हैं। यह गाँव इस परियोजना का विरोध कर रहा था परन्तु अब इसका समर्थन करता है। CAO ने नोट किया कि मुआवज़े का भुगतान कर दिया गया है और जमीन की लेन-देन सम्बन्धी प्रक्रिया चल रही है।

अगस्त 2003 में प्रस्तुत शुरुआती ESIA प्रक्रिया की और उसको प्रकट किये जाने की स्थानीय नेताओं द्वारा और साथ ही गैर सरकारी संस्थानों के समुदाय द्वारा आलोचना की गयी थी। ये दस्तावेज स्थानीय लोगों की चिन्ताओं का समुचित रूप से निवारण नहीं करते थे, न ही वे हिन्दी में स्थानीय रूप से उपलब्ध कराये गये थे। इसके परिणामस्वरूप, बहुत से स्थानीय लोगों के पास परियोजना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के सीमित अवसर थे। शुरुआती तौर पर खराब प्रस्तुति ने यह प्रभाव छोड़ा कि परियोजना बहुत जल्दी में तैयार की जा रही थी, जिससे परियोजना के प्रायोजकों और स्थानीय समुदाय के कुछ लोगों के बीच कुछ तनाव और अविश्वास पैदा हो गया।

अपने ही निर्णय के आधार पर, IFC ने नतीजा निकाल लिया कि ESIA दिसम्बर 2003 में परिपूर्ण था और पहचाने गये प्रभाव सम्भवयतया इस बारे में विचार किये जाने के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं थे कि परियोजना की मंजूरी के साथ आगे बढ़ा जाये या नहीं। फिर भी, इसमें यह कहा गया कि स्वतन्त्र पैनल की सिफारिशों के आधार पर इस परियोजना के दीर्घ कालीन पर्यावरण सम्बन्धी प्रभावों पर अतिरिक्त अध्ययन कराये जाये। इन अध्ययनों के फरवरी 2006 तक पूरे हो जाने की आशा है और IFC का मानना है कि उनसे परियोजना पर महत्वपूर्ण रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

<u>CAO के निष्कर्ष और सिफारिशें</u>

1. प्रायोजकों द्वारा प्रभावित समुदायों के साथ परामर्श और बातचीत के पर्याप्त प्रयास किये गये हैं, विशेषरूप से दिसम्बर 2003 के बाद से। जगतसुख और प्रिनी दोनों गाँवों के समुदायों द्वारा उठाये गये बहुत से मुद्दे दर्ज कर लिये गये हैं और होने वाले प्रभावों को कम करने के वायदे कर दिये गये हैं। सितम्बर 2004 के ESIA परिशिष्ट में शिकायतकर्त्ताओं द्वारा अब तक उठाये गये मुद्दों को शामिल किया गया है तथा उनके बारे में स्पष्टीकरण या उन्हें कम करने सम्बन्धी कार्यवाहियों का विवरण दिया गया है। CAO यह निर्णय करने की स्थिति में नहीं है कि ESIA में किये गये वायदों को व्यवहारिक रूप में पूरा किया जायेगा या नहीं क्योंकि परियोजना की बहुत सी गतिविधियों का अभी क्रियान्वयन किया जाना बाकी है।जगतसुख गाँव के बहुत से सदस्य चिन्तित हैं, और इस बाबत आश्वासन चाहते हैं कि वायदों का पालन किया जायेगा। खंड 5.4 इसी मुद्दे से सम्बन्धित है। कुछ मामलों में ESIA और अधिक स्पष्ट हो सकता था या प्रभावों को कम करने की प्रस्तावित कार्यवाहियों को और अधिक स्पष्ट किया जा सकता था। ऐसा एक मामला गाँव वासियों द्वारा उठायी गयी आध्यात्मिक चिन्ताओं के प्रति परियोजना द्वारा दिया गया उत्तर है।

सिफारिश: प्रायोजक को ESIA परिशिष्ट और ESMMP में किये गये हर वायदे को लागू करने के लिये एक समय सारिणी तैयार करनी चाहिये। यह समय सारिणी भागीदारी के ढंग में तैयार की जानी चाहिये ताकि प्रभावित लोगों को यह स्पष्ट हो सके कि प्रभावों को कम करने के उपाय क्या हैं, और उन्हें कब लागू किया जायेगा। पहचाने गये प्रमुख प्रभावों को कम करने के लिये विशिष्ट उपायों में किए गए वायदे शामिल किये जाने चाहियें जिन्हें प्रभावित लोगों द्वारा समझा जा सके तथा अपील प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करने वाले विश्वसनीय पैनल द्वारा उसकी जाँच की जा सके (खंड 5.4 देखें)।

2. CAO ने पाया कि ESIA की भाषा और प्रक्रिया अस्पष्ट है। IFC ने मई 2004 में तैयार की गयी एक 'मसौदा' रिपोर्ट और सितम्बर वाले परिशिष्ट की प्रस्तुति के आधार पर बोर्ड से मंजूरी प्राप्त की है। IFC ने इस बात को इंगित नहीं किया है कि 'अन्तिम' ESIA कब उपलब्ध होगा। IFC का कहना है कि 'मसौदा' रिपोर्ट में भावी बदलाव बोर्ड के निर्णय के लिये महत्वपूर्ण नहीं होंगे। CAO का मानना है कि यदि बोर्ड को और जनता को अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती तो अधिक उपयुक्त रहता। इससे स्पष्टतम संकेत मिलता है कि IFC का मानना है कि सभी महत्वपूर्ण चिन्ताओं का निवारण कर दिया गया है। CAO का मानना है कि ESIA के कार्य-क्षेत्र और विषय वस्तु को तैयार करने की प्रक्रिया की पारदर्शिता में सुधार किया जाना चाहिये था, विशेष रूप से IFC के द्वारा यह दर्शाये जाने के सम्बन्ध में कि उसने अपनी ओर से पूरी सावधानी बरती है तथा परियोजना की प्रगति की दिशा में महत्वपूर्ण चिन्ताओं को दूर कर दिया गया है या उन्हें कम कर दिया गया है।

सिफारिश: प्रायोजक द्वारा ESIA के एक खंड में परियोजना के सम्बन्ध में अपेक्षित प्रभावों की प्रकृति और उन्हें कम करने के समुचित उपायों को इंगित करती हुई IFC की हर सुरक्षा नीति के औचित्य पर विचार करना चाहिये। यह प्रक्रिया IFC, प्रायोजक और प्रभावित लोगों को यह प्रदर्शित करने में मदद करेगी कि ESIA सामयिक है और पूर्ण है, तथा महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया गया है। AD हाइड्रो और IFC को यह स्पष्ट करना चाहिये कि किन कारणों से वे इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि किये जाने वाले अतिरिक्त अध्ययन परियोजना को आगे बढ़ाये जाने के लिये महत्वपूर्ण नहीं होंगे।

IFC को 'अन्तिम' ESIA के प्रकाशन को परिभाषित करने में साफ बताना चाहिये कि सभी महत्वपूर्ण शर्तों को पूरा किया गया है और परियोजना को बोर्ड के सम्मुख रखे जाने की आशा है। IFC को अपनी आकलन प्रक्रिया को एवं IFC ने अपनी जिम्मेदारियों को उचित परिश्रम के साथ पूरा कर लिया है इस बात को कहने के लिए उसके आधार को अधिक पारदर्शी बनाने के बारे में विचार करना चाहिए। अध्यक्ष को लिखे जाने वाले एक परामर्शी नोट का यह विषय होगा।

3. एक विशिष्ट विषय जो चिन्ता के रूप में उठाया गया था और जो ESIA में स्पष्ट नहीं है, वह है कि बनाये गये ढाँचों (बाँध और दिशापरिवर्तन वाली सुरंगों) पर भूकम्पीय घटनाओं के खतरों को परियोजना की डिजाइन में किस सीमा तक शामिल किया गया है। IFC ने एक स्वतन्त्र इंजिनियरिंग रिपोर्ट प्राप्त की है जिसमें बनाये गये ढाँचों के लिये जोखिमों का तकनीकी विश्लेषण दिया गया है। IFC ने CAO को ऐसा संकेत दिया है कि वह पूरी रिपोर्ट को सार्वजनिक रूप से जारी करने की इच्छुक नहीं है।

सिफारिश: CAO सिफारिश करता है कि प्रभावित लोग इस जानकारी के लिये सीधे अनुरोध करके परियोजना की शिकायतों के समाधान सम्बन्धी क्रियाविधि की प्रभावकारिता की जाँच करें। CAO अपेक्षा करता है कि इस अनुरोध के सम्बन्ध में हुई प्रगति के बारे में बातचीत की जाती रहेगी और उसे सूचित किया जाता रहेगा ताकि समुदाय की चिन्ताओं के प्रति शिकायतों के समाधान की क्रियाविधि द्वारा दर्शायी जाने वाली संवेदनशीलता को समझा जा सके।

5.3. क्या परियोजना के पास अनापत्ति प्रमाण-पत्र है?

अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) विकास सम्बन्धी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिये स्थानीय समर्थन दर्शाने हेतु, गाँव की निर्वाचित परिषद - पंचायत - द्वारा जारी किया जाने वाला एक आवश्यक परमिट है। NOC मंजूरियों के पदक्रम का एक हिस्सा है और राज्य एंव राष्ट्रीय दोनों संस्थाओं से अतिरिक्त मंजूरियों का प्राप्त किया जाना ज़रूरी है। जगतसुख के लिये प्रायोजक द्वारा इस्तेमाल किया गया NOC मार्च 1997 में जारी किया गया था और अब गाँव के अन्दर ही इसकी वैधता के बारे में विरोधाभास है। शिकायतकर्त्ताओं का दावा है कि NOC केवल प्रारम्भिक अध्ययनों के लिये जारी किया गया था, न कि पूरी परियोजना के लिये। इसके अलावा, तत्कालीन प्रधान ने बताया है कि उसने बिना परिषद से मंजूर कराये अकेले ही यह NOC जारी किया था। शिकायतकर्त्ता इस बात पर अड़े हुए हैं कि NOC अब वैध नहीं है।

4 जुलाई 2004 को जगतसुख की ग्राम सभा ने परियोजना को अस्वीकार करते हुए एक प्रस्ताव जारी किया। इसी के परिपेक्ष्य में, कुछ शिकायतकर्त्ता इस बात को लेकर चिन्तित हैं कि परियोजना के प्रायोजक के द्वारा उनकी प्रमुख चिन्ताओं का निवारण करने से पहले और आगे क्रियान्वयन नहीं किया जाना चाहिये। CAO की नवीनतम जानकारी यह है कि विभिन्न शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन शुरू किये जा चुके हैं जिनमें जगतसुख में कुछ लोगों द्वारा परियोजना के विरोध में भूख हड़ताल शुरू करने की धमकी भी शामिल है।

प्रोजेक्ट ने ग्राम प्रिनी से मार्च 1997 और साथ ही साथ जून 2004 में NOC प्राप्त किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रिनी गाँव में जमीन की खरीदों के लिये समुचित मुआवज़ा सुनिश्चित करने के लिये किये गये प्रयास इस समुदाय के साथ सुधरे हुए सम्बन्ध सुनिश्चित करने में सहायक रहे हैं।

IFC का दृढ़तापूर्वक कथन है कि NOC कानूनी रूप से वैध है। इस परियोजना के लिये सरकार की मंजूरी प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में IFC का आकलन यह है कि हालांकि लोगों की चिन्ताओं का ध्यान रखा जाता है, परन्तु जनता की भागीदारी आवश्यक रूप से प्रभावित लोगों को किसी परियोजना का निषेध करने का अधिकार नहीं देती। यह विचार ज़ाहिरी तौर पर परियोजना से प्रभावित लोगों को कुल्लू जिले के डिप्टी कमिश्नर द्वारा 21 मई 2004 को जगतसुख में हुई जनसभा में बता दिया गया था। इसी प्रकार IFC का ESIA के दस्तावेजों और प्रक्रियाओं के आधार पर मानना है कि परियोजना के सामाजिक और पर्यावरण सम्बन्धी विपरीत प्रभावों को संभाला जा सकता है। इसके अनुसार इनका जोर इस बात पर अधिक था कि इन खतरों को <u>किस तरह</u> से कम किया जाये, <u>बजाय इस बात</u> के कि परियोजना को आगे बढ़ना चाहिये या नहीं।

<u>CAO के निष्कर्ष और सिफारिशें</u>

1. NOC का कानूनी आशय, विकास की परियोजनाओं के लिये स्थानीय समर्थन प्रदर्शित करना है। यह साफ है कि जगतसुख ने एक गाँव के रूप में अपनी प्रतिनिधि प्रक्रियाओं के ज़रिये यह प्रदर्शित कर दिया कि वे AD हाइड्रो परियोजना का समर्थन नहीं करते। हालांकि AD हाइड्रो कानूनी अनुपालन दर्शाने में समर्थ हो सकता है, परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि गाँव के समर्थन का - मंतव्य - स्पष्ट है। इस आधार पर, यह तर्क देना मुश्किल है कि परियोजना को मोटे तौर पर समुदाय का समर्थन प्राप्त है, विशेष रूप से क्योंकि प्रमुख रूप से प्रभावित दोनों गाँवों में जगतसुख की आबादी अधिक है (प्रिनी में 7000 लोगों की आबादी की तुलना में 12000 लोग)। CAO स्वीकार करता है कि प्रायोजक की बातचीत के प्रति मजबूत वचनबद्धता रही है और उसने अब तक प्रभावित पक्षों से रचनात्मक रूप से बातचीत की है। CAO यह भी स्वीकार करता है कि प्रायोजक ने प्रिनी के गाँववासियों के साथ अच्छे कार्यसाधक सम्बन्ध बना लिये हैं।

   सिफारिश: IFC द्वारा प्रायोजक को प्रभावित समुदायों को यह स्पष्ट करने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये कि ESIA किस सीमा तक परियोजना की मंजूरी के सापेक्ष परियोजना के डिजाइन सम्बन्धी निर्णयों में मार्ग

दर्शन करेगा। इस कदम से सम्भवतया सभी पक्षों को परामर्श और भागीदारी की समझ से बनने वाली आशाओं को बेहतर ढंग से व्यवस्थित कर पाने में मदद मिलेगी।

2. जगतसुख में गाँववासियों को इस बात की चिन्ता है कि उनके सामने परियोजना के तैयार होने से जुड़े हुए सामाजिक और पर्यावरण सम्बन्धी सकारात्मक और नकारात्मक मिलेजुले प्रभावों के साथ-साथ उनकी पानी की आपूर्तियों को नुकसान पहुँचने का बढा हुआ खतरा है। CAO का मानना है कि प्रायोजक को इसे एक उचित चिन्ता के रूप में स्वीकार करना चाहिये और इसके समाधान के तरीकों के बारे में चर्चा करनी चाहिये।

   सिफारिश: CAO सिफारिश करता है कि AD हाइड्रो को सुनिश्चित करना चाहिये कि इसका समुदाय निवेश कार्यक्रम, पहले चरण में जगतसुख और प्रिनी गाँव के लोगों के लिये अवसर और आजीविकाओं में सुधार पैदा करे।

5.4. क्या प्रायोजक द्वारा किए गए वायदों का पालन किया जायेगा?

शिकायतकर्त्ताओं को कोई विश्वास नहीं है कि परियोजना बनाने वाले विशेषज्ञ ESIA में या और कहीं पर किये गये वायदों को वस्तुत: लागू करेंगे। यह चिन्ता ESIA परिशिष्ट में तथा दूसरे स्वतन्त्र पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत बहुत से वैयक्तिक मुद्दों को रेखांकित करती है। गाँव वालों को बिल्कुल विश्वास नहीं है कि कम्पनी द्वारा दी गयी न्यूनतम गारंटियां पूरी की जायेंगी, न ही उन्हें इस बाबत कोई विश्वास है कि यदि कोई उल्लंघन होता है तो उनके हितों की पूर्ति के लिये कोई कानून प्रणाली पर्याप्त रूप से प्रभावशाली है। संक्षेप में, लोग महसूस करते थे कि मंजूरी प्राप्त करने के लिये परियोजना बनाने वाले विशेषज्ञ किसी भी चीज के लिये वायदा कर लेंगे, परन्तु बाद में उन्हें पूरा नहीं करेंगे।

जगतसुख और परियोजना के बीच में विश्वास भंग की स्थिति रही है, जिसके कारणों को बिल्कुल ठीक से बता पाना मुश्किल है। शिकायतकर्त्ताओं की सामान्य भावना को प्रदर्शित करते हुए जगतसुख के एक ग्रामीण ने स्थिति के बारे में कुछ इस तरह से कहा: *"कम्पनी 'बांटो और राज करो' की नीति अपना रही है और हमारे गाँव की एकता भंग कर रही है। उनके आदमी केवल कुछ लोगों के पास जाते हैं और जानकारी पाने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। वे परियोजना का विरोध करने वाले लोगों के बारे में यह कहकर अफवाहें भी फैलाते हैं कि उन्होंने पैसा ले लिया है ताकि लोग उन पर भड़क उठें। इस तरह से, हमसे एक दूसरे पर शक कराया जा रहा है।"* साथ ही, कुछ लोगों द्वारा सड़क सम्बन्धी काम को और कुछ पेड़ों के काटे जाने को बिना सहमति और मंजूरी के परियोजना के निर्माण की शुरुआत के रूप में देखे जाने से अविश्वास की यह भावना और गम्भीर हो गयी है। परस्पर बातचीत की प्रक्रिया और इन विशिष्ट घटनाओं का चाहे जो कुछ भी अर्थ लिया जाये, परन्तु आमतौर पर उठायी गयी इन चिन्ताओं ने जगतसुख निवासियों के एक हिस्से द्वारा परियोजना चलाने वाली कम्पनी के प्रति अविश्वास की भावना प्रकट की है।

अपने पक्ष में, प्रायोजक का कहना है कि उसने हर समय सभी प्रभावित समुदायों के साथ खुली और पारदर्शी बातचीत सुनिश्चित करने का प्रयास किया है, तथा जमीनी तौर पर इसमें सुधार करने के लिये महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं, जिसमें परामर्शदाताओं और अतिरिक्त स्टाफ की सेवायें ली जाना शामिल है। परियोजना के वायदों के सम्बन्ध में, प्रायोजक ने निम्नलिखित चीजें स्वीकार की हैं:

1. दिनांक 7 मई 2004 का एक शपथपत्र जो प्रायोजक को जमीन प्रयोगकर्त्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा करने, और परियोजना के कारणों से पानी इस्तेमाल करने वाले लोगों के किसी भी उन अधिकारों के उल्लंघन के लिये क्षति पूर्ति करने तथा, यदि ज़रूरी हो, तो स्थानीय पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये वैकल्पिक व्यवस्थाएं करने हेतु वचनबद्ध करता है।
2. हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ हस्ताक्षरित किया गया एक क्रियान्वयन अनुबन्ध जिसके अनुसार प्रायोजक को बहाव की दिशा में पानी की ज़रूरतों के लिये एक न्यूनतम बहाव सुनिश्चित रखना ज़रूरी है।

3. हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड (HPPCB) की इन अनिवार्य शर्तों के साथ मंजूरी कि AD हाइड्रो: (a) पानी का इस्तेमाल करने वाले लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने तथा पानी के जीव जन्तुओं के जीवन को सुस्थिर रखने के लिये हर ऋतु के दौरान दिशा परिवर्तन के लिये बनाये गये बाँध से बहाव की दिशा में पानी की समुचित मात्रा छोड़ेगा; (b) परियोजना सम्बन्धी निर्माण के कारण पानी के किसी भी स्रोत पर विपरीत असर होने की दशा में किसी भी वैकल्पिक योजनाओं की लागत वहन करेगा; (c) बहाव की दिशा में पानी का इस्तेमाल करने वाले लोगों को हुए नुकसानों की उनके जमीन सम्बन्धी अधिकारों के अधीन भरपाई करेगा; तथा (d) पर्यावरण सम्बन्धी एवं सामाजिक प्रावधानों के सम्बन्ध में HPPCB को नियमित, स्वतन्त्र निगरानी रिपोर्टें प्रस्तुत करेगा। HPPCB की मंजूरी एक साल के लिये वैध है और इसका वार्षिक रूप से नवीनीकरण कराया जाना चाहिये।
4. ESMMP में दिये गये सभी प्रावधानों का AD हाइड्रो द्वारा अनुपालन IFC के ऋण अनुबन्ध के अन्तर्गत किया गया एक इकरार भी है। इन प्रावधानों का अनुपालन न किये जाने पर चूक की स्थिति पैदा हो सकती है जिसमें AD हाइड्रो पर काफी वित्तीय दंड लगाया जा सकता है।

प्रयोजक परियोजना से प्रभावित लोगों के लिये शिकायत निवारण सेल और साथ ही अपीलों पर कार्यवाही के लिए कार्यविधि स्थापित करने के लिये सहमत हो गया है (यदि ऐसा हुआ है तो शिकायतें सन्तोषजनक ढंग में सुलझा ली गयीं नहीं लगती)।

इन कार्यविधियों की सार्वजनिक जाँच और इनकी सुलभता के सम्बन्ध में, CAO समझता है कि HPPCB के पास परियोजना के वायदों के उल्लंघन से सम्बन्धित जन शिकायत होने की दशा में मंजूरियों के नवीनीकरण के लिये अपनी सहमति को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है। ESMMP में परियोजना से प्रभावित लोगों के लिये ESMMP के क्रियान्वयन की सावधिक निगरानी में भाग लेने का प्रावधान है। इसके अलावा:

1. IFC परियोजना का निरीक्षण करने और सामाजिक एवं पर्यावरण सम्बन्धी मामलों पर तिमाही आधार पर रिपोर्ट देने के लिये एक स्वतन्त्र इंजीनियर नियुक्त करेगी। स्वतन्त्र इंजीनियर के लिये इन मामलों में विशेषज्ञता रखने वाले परामर्शदाताओं के साथ अनुबन्ध करना और उन्हें बनाये रखना ज़रूरी है।
2. प्रायोजक को तिमाही और वार्षिक आधार पर सामाजिक, पर्यावरण सम्बन्धी तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी मुद्दों सहित अनुरोध किये गये सभी मदों पर IFC को रिपोर्ट करना होगी।

<u>CAO के निष्कर्ष</u>

हालांकि शिकायत निवारण की कार्यविधियां स्थापित कर दी गयीं हैं, परन्तु CAO इस बारे में स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं कर सका कि इन निकायों में कार्मिक किस तरह से नियुक्त किये जाते हैं, उनके अधिकार क्षेत्र क्या हैं, या पहले आयोजित की गयी बैठकों की कार्यवाही का विवरण।

प्रायोजक स्वीकार करता है कि अभी तक समुदाय सम्बन्धों के प्रति उसका रवैया उसके द्वारा अनुभव की गयी चुनौतियों के अनुपात से मेल नहीं खाता। उदाहरण के लिये, बातचीत के लिये अनौपचारिक तरीकों पर भरोसा किया गया है, परन्तु समुदायों के साथ औपचारिक बातचीतों के सबूत कम हैं। प्रभावित समुदायों के साथ बातचीत और अधिक पेशेवर हो सकती थी। ऐसा लगता है कि IFC और इसके सहयोगियों (क्लाइंट) दोनों ने इस परियोजना में स्थानीय और साथ ही साथ राष्ट्रीय हित के स्तर को कम करके आंका है। परिणामस्वरूप, उनके पास न तो शुरुआती स्तरों पर खुली और रचनात्मक बातचीत की मांग को संभालने के लिये, न ही स्थानीय और राष्ट्रीय आलोचना का सामना करने के लिये पर्याप्त संसाधन थे। इन शुरुआती कमजोरियों ने दिक्कतें दूर करने की कार्यवाहियों के बावजूद, परियोजना बनाने वाले विशेषज्ञों और इसके मेजबान समुदाय के एक हिस्से के बीच रिश्ते में एक खटास पैदा कर दी है।

सिफारिशें:

1. प्रायोजक को प्रभावित लोगों के साथ चर्चा और बातचीत करने के लिये, और विशेष रूप से दो तरफा बातचीत की प्रक्रिया के प्रबन्धन के लिये परियोजना की क्षमता में सुधार लागू करने चाहियें। CAO समझता है कि परियोजना द्वारा हाल ही में अतिरिक्त स्टाफ की भर्ती की गयी है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि नये कार्मिकों के पास समुदाय के विवाद सम्बन्धी मुद्दों के बारे में पर्याप्त अनुभव हो और परियोजना के सामाजिक वायदों को पूरा करने में वे स्थानीय लोगों का भरोसा जीतने में समर्थ हों।
2. CAO परियोजना की सारी उम्र के लिये शिकायत निवारण सेल एंव अपीलों पर कार्यवाही करने वाले उससे जुड़े पैनल को मजबूत करने की सिफारिश करता है, ताकि सुनिश्चित हो सके कि इसके पास निम्नलिखित चीजें हैं:
   a. परिभाषित अधिकार क्षेत्र
   b. इन पैनलों में भाग लेने के लिये लोगों का चयन करने हेतु विश्वसनीय प्रक्रियाएं - वे कारगर, निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहियें और उनमें स्थानीय लोग शामिल होने चाहियें।
   c. सहमत नतीजों की निगरानी करने और उन्हें लागू करने के लिये स्पष्ट कार्यविधियां।

   इसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि समुदाय और परियोजना बनाने वाले विशेषज्ञों दोनों के हित पूरे हों।

6. निष्कर्ष

इस रिपोर्ट में संक्षिप्त रूप में वर्णित चिन्ताओं का आशय हाल के शिकायतकर्त्ता समूह के अलावा अन्य लोगों के लिये भी है और इसमें जगतसुख और प्रिनी दोनों गाँवों के अधिकतर लोगों के शामिल हो जाने की सम्भावना है। CAO का मानना है कि परियोजना के लिये वर्तमान नकारात्मक भावना को बदलने के लिये समुदायों के साथ रचनात्मक बातचीत के बिना आगे बढ़ना न तो IFC के हित में है और न ही उसके सहयोगियों के। अविश्वास के इस मौजूदा माहौल में बातचीत करना बेहद मुश्किल होगा। यह बात विशेष रूप से उस सन्दर्भ में लागू होती है जब जगतसुख के अन्दर ही कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि IFC के सहयोगी उनके समुदाय सम्बन्धों में 'बांटों और राज करो' का कार्यक्रम शुरू कर चुका है।

CAO समझता है कि वर्तमान स्थितियों में समुदाय की सर्वसम्मति की सम्भावना नहीं है और समुदाय के कुछ सदस्य हमेशा परियोजना को अस्वीकार करेंगे। यह स्पष्ट है कि समुदाय इस मुद्दे पर बंटा हुआ है और इसमें स्थानीय राजनीतिक एजेंडों की जटिल अन्तर्निहित भावना है।

इस कठिनाई के बावजूद, CAO समझता है कि शिकायतकर्त्ताओं और प्रायोजक के बीच बातचीत की गुंजाइश है।

अपने आकलन के आधार पर **CAO सिफारिश करता है** कि:

इस रिपोर्ट के नतीजों पर चर्चा करने, आम चिन्ताओं की पहचान करने, और समुचित रूप से मुद्दों को सुलझाने के लिये एक सहमत लिखित इकरारनामा तैयार करने के लिये CAO प्रायोजक और शिकायतकर्त्ताओं के प्रतिनिधियों के बीच एक बैठक आयोजित करे। इस बैठक में CAO द्वारा सहायता प्रदान की जायेगी जो कि तटस्थ और निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिये जिम्मेदार होगा। इस बैठक के नतीजे की और इस बैठक में सहमत आशातीत अगले कदमों की जानकारी को सार्वजनिक किया जायेगा। यह बैठक अप्रैल 2005 में आयोजित करने की योजना है।

CAO इस शिकायत के समाधान के लिये समुदाय की और प्रायोजक की सहायता करने के लिये तैयार है।